न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 46 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये डॉ0 मदनलाल गूजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ।   — आवेदक—

बनाम

1. श्री मुकेश कुमावत पुत्र श्री गोपाल कुमावत निवासी ग्राम बिशनपुरा पोस्ट सैंथल तहसील व जिला दौसा राज0

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएसए धारा 26 की उपधारा 2(II) एवं दंडनीय धारा 51

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :—   दिनांकः— 26.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ0 मदनलाल गूजर दिनांक 10.3.2023 को वास्ते निरीक्षण दौसा शहर में सैंथल मोड पर समय प्रातः 10.01 ए.एम. पर पहुँचा। वहां पर श्री मुकेश कुमावत पुत्र श्री गोपाल कुमावत दूध विक्रेता मोटर साईकल (स्पलेण्डर) नं0 आर जे 29 एसवी 3789 पर लोहे के 3 ड्रमों मे 40—40 लीटर क्षमता वाले में लगभग 120 लीटर मिश्रित दूध वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु अपने गांव बोराई से आये हुए थे, को अपना परिचय को अपना परिचय दिया एवं परिचय लेने पर स्वयं को दूध विक्रेता बताया एवं पूछने पर बताया कि लोहे के ड्रमों में रखा हुआ दूध किस जानवर का है तो उक्त दूध को मिश्रित दूध (Mixed Milk) होना बताया। वास्ते निरीक्षण खाद्य रजिस्ट्रेशन/लाईसेन्स मांगा तो दूध विक्रेता ने ऑनलाईन आवेदन करना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त ड्रमों में रखे दूध का निरीक्षण करने पर दूध मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर लोहे के 4 ड्रमों में भरे 120 लीटर मिश्रित दूध में से एक ड्रम का चयन कर दूध विक्रेता को फार्म नं. 5ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देकर चयन किये गये 40 लीटर दूध वाले ड्रम के मिश्रित दूध को प्लेंजर को हिला मिलाकर एक रूप् करके दूध मापक से एक साफ व सूखे स्टील के जग में 2.0 लीटर मिश्रित दूध (मापक से) तुलवाकर वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता श्री रामअवतार शर्मा को 100/— (अक्षरे एक सौ रूपये) नकद देकर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता व गवाहान नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को इलेक्ट्रोनिक मापक मशीन से 500—500 एम.एल. तुलवाकर चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में भरकर प्रत्येक शीशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 40—40 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिला—मिलाकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया तथा प्रत्येक शीशी पर खाकी कागज से लपेट कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसारतैयार करलेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम व डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक AG-3239 अंकित किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय CM&HO दौसा को भेजकर दिनांक 11.3.2023 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 11.3.2023 को जमा करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध(खुला) की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 313 / एक्ट / 2023 / 335 दिनांक 24.3.2023 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध(खुला) की जांच में एफएसएए की धारा 26 की उप धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub Standard) स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 313 / एक्ट / 2023 / 335 दिनांक 24.3.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध(खुला)के नमूने में B.R. Reading 44.8 पायी गई है जबकि मानक स्तर के अनुसार 40.0 से 44.0 के मध्य होनी चाहिये। इस प्रकार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध(खुला) का नमूना एफएसएए की धारा 26 की उप धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध(खुला) अवमानक स्तर (Sub Standard) का विक्रय कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया गया है जिसका जुर्माना धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये मिश्रित दूध में प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। B.R. Reading मानक स्तर से अधिक आने का कारण की प्रार्थी को जानकारी नहीं है। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रोप फरमाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 313 / एक्ट / 2023 / 335 दिनांक 24.3.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध(खुला) का नमूना की जांच में B.R. Reading मानक स्तर से अधिक पायी गई है। जिससे अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध(खुला) अवमानक स्तर (Sub Standard) का विक्रय किया जाना सिद्व होता है। अभियुक्त द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक स्तर का पाये जाने के संबंध में कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा मिश्रित दूध(खुला) अवमानक स्तर का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री मुकेश कुमावत पुत्र श्री गोपाल कुमावत निवासी ग्राम बिशनपुरा पोस्ट सैंथल तहसील व जिला दौसा राज0 पर 10000 / –(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 26.09.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26..09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वां)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

सत्यमेव जयते

क्रमांक / FSSA/ दिनांकः– 26.09.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मुकेश कुमावत पुत्र श्री गोपाल कुमावत निवासी ग्राम बिशनपुरा पोस्ट सैंथल तहसील व जिला दौसा राज0

(राजकुमार कस्वा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा